

विधि / LAW

प्रश्न-पत्र II / Paper II

निर्धारित समय : तीन घंटे

Time Allowed : Three Hours

अधिकतम अंक : 250

Maximum Marks : 250

प्रश्न-पत्र के लिए विशिष्ट अनुदेश

कृपया प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें :
इसमें आठ प्रश्न हैं जो दो खण्डों में विभाजित हैं तथा हिन्दी और अंग्रेज़ी दोनों में छपे हैं ।
परीक्षार्थी को कुल पाँच प्रश्नों के उत्तर देने हैं ।

प्रश्न संख्या 1 और 5 अनिवार्य हैं तथा बाकी में से प्रत्येक खण्ड से कम-से-कम एक प्रश्न चुनकर किन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर दीजिए ।

प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं ।

प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश-पत्र में किया गया है, और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू.सी.ए.) पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए । उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे ।

प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए ।

प्रश्नों के उत्तरों की गणना क्रमानुसार की जाएगी । यदि काटा नहीं हो, तो प्रश्न के उत्तर की गणना की जाएगी चाहे वह उत्तर अंशतः दिया गया हो । प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए ।

Question Paper Specific Instructions

Please read each of the following instructions carefully before attempting questions :

There are EIGHT questions divided in TWO SECTIONS and printed both in HINDI and in ENGLISH.

Candidate has to attempt FIVE questions in all.

Questions no. 1 and 5 are compulsory and out of the remaining, any THREE are to be attempted choosing at least ONE from each section.

The number of marks carried by a question / part is indicated against it.

Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate which must be stated clearly on the cover of this Question-cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in a medium other than the authorized one.

Word limit in questions, wherever specified, should be adhered to.

Attempts of questions shall be counted in sequential order. Unless struck off, attempt of a question shall be counted even if attempted partly. Any page or portion of the page left blank in the Question-cum-Answer Booklet must be clearly struck off.

खण्ड A

SECTION A

Q1. निम्नलिखित प्रत्येक का उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए । विधिक प्रावधानों व न्यायिक निर्णयों की सहायता से अपने उत्तर का समर्थन कीजिए ।

Answer the following in about 150 words each. Support your answer with legal provisions and judicial pronouncements. 10×5=50

- (a) “आपराधिक दायित्व की मात्रा के निर्धारण में विधि अपराधी के हेतु, पैमाने व चरित्र पर विचार करती है ।” कानूनी अपराधों में आपराधिक मनःस्थिति की अनुपस्थिति के प्रकाश में इस कथन का परीक्षण कीजिए ।

“In determining the quantum of criminal liability, the law takes into account the motive, magnitude and character of the offender.” Examine this statement in the light of absence of mens rea in statutory offences. 10

- (b) “भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988, लोक सेवकों को अपनी आधिकारिक क्षमता के दुरुपयोग एवं दुष्प्रयोग करने से रोकता है ।” टिप्पणी कीजिए ।

“The Prevention of Corruption Act, 1988 prevents the public servants from misuse and abuse of their official capacity.” Comment. 10

- (c) “अभी हाल में त्रुटिहीन दायित्व के नियम में भारी परिवर्तन आया है ।” टिप्पणी कीजिए ।

“No fault liability rule has undergone a drastic change in the recent past.” Comment. 10

- (d) “वादी के केवल दोषमुक्त हो जाने से, दुर्भाव (द्वेष) अनुमानित नहीं हो सकता । दोषमुक्ति के अलावा, वादी को यह सिद्ध करना आवश्यक होता है कि उसका अभियोजन द्वेषपूर्वक व बिना यथोचित व सम्भावित कारण के हुआ था ।” टिप्पणी कीजिए ।

“Malice is not to be inferred merely from the acquittal of the plaintiff. The plaintiff must prove independently of the acquittal that his prosecution was malicious and without reasonable and probable cause.” Comment. 10

- (e) अभिवचन सौदे (प्ली बार्गेन) के विशेष सन्दर्भ में, दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2005 का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए ।

Critically examine the Code of Criminal Procedure (Amendment) Act, 2005 especially with reference to plea bargaining. 10

- Q2.** (a) “राजद्रोह से सम्बन्धित भा.दं.सं. की धारा 124A, जहाँ तक सरकार के विरुद्ध केवल दुर्भावनाओं को दण्डित करती है, संविधान के अधिकारातीत है। यह अनुच्छेद 19(1)(a) द्वारा प्रदत्त वाक्-स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य पर अनुचित पाबन्दी है तथा संविधान के अनुच्छेद 19(2) में व्यक्त “लोक व्यवस्था के हित में” में आरक्षित नहीं है।” टिप्पणी कीजिए।
“Section 124A of the IPC dealing with sedition is ultra-vires of the Constitution insofar as it seeks to punish merely bad feelings against the Government. It is an unreasonable restriction on freedom of speech and expression guaranteed under Article 19(1)(a) and is not saved under Article 19(2) of the Constitution by the expression “in the interest of public order.” Comment. 20
- (b) “आपराधिक मानव वध, यदि बिना पूर्वयोजन के, आवेश में आकर अचानक झगड़े में कारित हो, तो वह हत्या नहीं है।” अग्र निर्णयज विधि के साथ इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
“Culpable homicide is not murder, if it is committed without premeditation, in a sudden fight in the heat of passion.” Critically examine the statement with leading case law. 15
- (c) “कोई व्यक्ति समुचित सावधानी व देखभाल से विधिवत तरीके व विधिवत साधन से किए गए विधिपूर्ण कार्य के अज्ञात व अनायास (अनपेक्षित) परिणामों के लिए आपराधिक रूप से ज़िम्मेवार नहीं होता है।” स्पष्ट कीजिए।
“A man is not criminally responsible for unintended and unknown consequences of his lawful acts performed in a lawful manner, by lawful means with proper care and caution.” Elucidate. 15
- Q3.** (a) “स्वेच्छा से सहन की गई हानि, न तो वैधिक क्षति होती है और न ही वादयोग्य।” इसकी परिसीमाओं सहित व्याख्या कीजिए।
“Harm suffered voluntarily does not constitute a legal injury and is not actionable.” Elaborate along with its limitations. 20
- (b) “परंतु फिर भी, असावधानी का सीधा साक्ष्य सदैव आवश्यक नहीं होता है व वाद की परिस्थितियों से उसे अनुमानित किया जा सकता है।” निर्णयों के साथ सविस्तार स्पष्ट कीजिए।
“Direct evidence of negligence, however, is not always necessary and the same may be inferred from the circumstances of the case.” Elucidate with cases. 15
- (c) “वादी को जानने वाले लोगों के द्वारा यदि कथन को उससे सम्बन्धित समझा जाएगा, तो यह निरर्थक है कि प्रतिवादी मानहानिकारक कथन को वादी पर लागू करने का आशय रखता था या उस वादी के अस्तित्व से अवगत था।” निर्णयज विधि से स्पष्ट कीजिए।
“It is immaterial whether the defendant intended the defamatory statement to apply to the plaintiff or knew of the plaintiff's existence if the statement might reasonably be understood by those who knew the plaintiff, to refer to him.” Elucidate with case law. 15

- Q4.** (a) “उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्रावधान तत्कालीन प्रवर्तित किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अतिरिक्त होंगे न कि उसके अल्पीकरण में होंगे ।” इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए ।

“Provisions of the Consumer Protection Act, 1986 shall be in addition to and not in derogation of the provisions of any other law for the time being in force.” Critically examine the statement.

15

- (b) “षड्यंत्र को अपराध बनाने वाली विधि का उद्देश्य रिष्टि करने की असंयत शक्ति पर रोक लगाना है, जो साधनों के संयोजन से प्राप्त हो जाती है ।” व्याख्या कीजिए ।

“The law making conspiracy a crime is designed to curb immoderate power to do mischief which is gained by a combination of the means.” Explain.

15

- (c) “व्यक्ति का हरेक परिरोध एक कारावास होता है, चाहे वह सार्वजनिक कारागार में हो या निजी घर में हो, स्टॉक में हो, या लोक मार्गों में जबरन बन्दीकरण के द्वारा हो ।” निर्णयज विधि की सहायता से इस बात को स्पष्ट कीजिए ।

“Every confinement of the person is an imprisonment, whether it be in a common prison or in a private house, or in the stocks or even by forcibly detaining one in the public streets.” Explain with the help of case law.

20

खण्ड B

SECTION B

Q5. निम्नलिखित प्रत्येक का उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए। उपयुक्त विधिक उपबन्धों और न्यायिक निर्णयों की सहायता से अपने उत्तर का समर्थन कीजिए।

Answer the following in about 150 words each. Support your answer with relevant legal provisions and decided cases. 10×5=50

- (a) “स्वीकृति के लिए प्रस्ताव वही है जो माचिस की जलती तिल्ली, गनपाउडर की ट्रेन के लिए है। यह वह उत्पन्न करती है जिसे न वापस किया जा सकता और न निरस्त किया जा सकता” — एन्सन। समझाइए।

“An offer is to an acceptance what a lighted match-stick is to a train of gunpowder. It produces something which cannot be recalled or undone” — Anson. Explain. 10

- (b) “हर संविदा में एक ‘मूल’ या ‘मौलिक दायित्व’ होता है, जिसका पालन करना आवश्यक होता है। यदि कोई पक्षकार इस मौलिक दायित्व के पालन में असफल रहता है, तो वह संविदा भंग का दोषी होगा, भले ही उसे बचाने की कोई उपधारा सम्मिलित की गई है या नहीं।” निर्णयज विधि के साथ इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

“Every contract contains a ‘core’ or ‘fundamental obligation’ which must be performed. If one party fails to perform this fundamental obligation, he will be guilty of a breach of contract whether or not any exempting clause has been inserted which purports to protect him.” Critically examine the statement with case law. 10

- (c) “व्यक्तियों का कोई समूह फर्म है या नहीं, अथवा कोई व्यक्ति फर्म में साझेदार है या नहीं, इसका निर्धारण पक्षकारों के बीच सभी संबद्ध तथ्यों द्वारा प्रदर्शित वास्तविक सम्बन्धों के आधार पर होता है।” टिप्पणी कीजिए।

“In determining whether a group of persons is or is not a firm, or whether a person is or is not a partner in the firm, regard shall be had to the real relations between the parties, as shown by all relevant facts taken together.” Comment. 10

- (d) A ने B से ₹ 1,000 कर्ज लिया, परंतु कर्जा परिसीमा अधिनियम, 1963 के द्वारा कालातीत है। तदुपरान्त A ने पूर्व ऋण की जगह ₹ 1,000 अदा करने के लिखित वचन पर हस्ताक्षर किया। इस करार की विधिमान्यता का निर्णय कीजिए।

A owed B ₹ 1,000, but the debt is barred by the Limitation Act, 1963. Subsequently A signs a written promise to pay ₹ 1,000 on account of the previous debt. Decide the validity of this agreement. 10

- (e) “परक्राम्य लिखत के हर एकमात्र निष्पादक, लेखीवाल, पाने वाला या पृष्ठांकित या सभी संयुक्त निष्पादक, लेखीवाल, पाने वाले या पृष्ठांकित, इसे पृष्ठांकित या परक्रामण कर सकते हैं।” उपर्युक्त कथन के प्रकाश में, पृष्ठांकन और परक्रामण के बीच भेद बताइए व ‘पृष्ठांकन’ के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या भी कीजिए।

“Every sole maker, drawer, payee or endorsee, or all of joint makers, drawers, payees, or endorsees, of a negotiable instrument may endorse and negotiate it.” In the light of the above statement, distinguish between endorsement and negotiation and also explain different kinds of ‘endorsements’.

10

- Q6. (a) “सूचना अधिकार अधिनियम, 2005, प्रत्येक लोक प्राधिकरण की कार्यशैली में पारदर्शिता व जवाबदेही को बढ़ाने के लिए अधिनियमित किया गया था।” गत दस वर्षों में, सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 द्वारा यह उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त हुआ है? अपने उत्तर का आलोचनात्मक विश्लेषण, अपवादों व निर्णयज विधि की सहायता से कीजिए।

“The Right to Information Act, 2005 was enacted in order to promote transparency and accountability in the working of every public authority.” How far has this goal been achieved by the Right to Information Act, 2005 in the last ten years? Critically analyse your answer with the support of exceptions and case law.

15

- (b) “यद्यपि मीडिया विचारण (ट्रायल) के लिए कोई कानून नहीं है, तथापि, मूल अधिकारों के अधीन वाक्-स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्य में मीडिया को साक्ष्य पर आधारित अपने विचार प्रकट करने की स्वतन्त्रता है। इस विचारण का न्यायालय के समक्ष कोई प्राधिकार नहीं होता है।” इस कथन का निर्णयज विधि सहित आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

“Though there is no law for media trial, however, in freedom of expression and speech under fundamental rights, media has the freedom to express its views based on evidence. This trial has no authority before the court of law.” Critically examine the statement with case law.

15

- (c) “जब वादी की जानकारी में विशेष पहचान का व्यक्ति अस्तित्व में हो और वादी केवल उसी व्यक्ति से व्यवहार करना चाहता हो, केवल तभी पहचान की त्रुटि हो सकती है। यदि धोखेबाज़ द्वारा ग्रहण किया गया नाम काल्पनिक है, तो पहचान की कोई त्रुटि नहीं होगी।” इस कथन का अग्र निर्णयज विधि के साथ परीक्षण कीजिए।

“There can be a mistake of identity only when a person bearing a particular identity exists within the knowledge of the plaintiff, and the plaintiff intends to deal with him only. If the name assumed by the swindler is fictitious, there will be no mistake of identity.” Examine the statement with leading case law.

20

- Q7.** (a) माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 में माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण संशोधनों पर प्रकाश डालिए ।
Highlight the important amendments made in the Arbitration and Conciliation Act, 1996 by the Arbitration and Conciliation (Amendment) Act, 2015. 15
- (b) “अभिकर्ता के प्राधिकार का समापन (प्रतिसंहरण) मालिक द्वारा कुछ नियमों के अन्तर्गत किया जा सकता है ।” अभिकर्ता के संरक्षण के प्रकाश में इन नियमों का परीक्षण कीजिए ।
“The revocation of agent’s authority can be made by the principal subject to certain rules.” Examine these rules in the light of protection to agent. 15
- (c) “अप्रदत्त विक्रेता के अधिकार पक्षकारों के बीच अभिव्यक्त या विवक्षित करार पर आधारित नहीं होते हैं । वे विधि की विवक्षा के द्वारा उत्पन्न होते हैं ।” सविस्तार स्पष्ट कीजिए ।
“The rights of unpaid seller do not depend upon any agreement, express or implied, between the parties. They arise by implication of law.” Elucidate. 20
- Q8.** (a) “संविदा भंग के लिए नुकसानी की अदायगी का उद्देश्य पीड़ित पक्ष को उसी स्थिति में लाना है, जिसमें उसे जहाँ तक धन द्वारा किया जा सकता है, जैसे कि उसे हानि नहीं हुई हो ।” उपर्युक्त कथन के प्रकाश में, न्यायालय कौन-कौन सी विभिन्न प्रकार की नुकसानियाँ अधिनिर्णीत कर सकता है ? साथ ही नुकसानी निर्धारण से संबंधित नियमों की भी व्याख्या कीजिए ।
“The object of awarding damages for a breach of contract is to put the injured party in the same position, so far as money can do it, as if he had not been injured.” In the light of the above statement, explain the various kinds of damages that the court can award. Also explain the rules relating to assessment of damages. 20
- (b) सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2008 के द्वारा 2008 में संशोधित सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के प्रमुख अभिलक्षणों को स्पष्ट कीजिए और अपने विचार भी व्यक्त कीजिए ।
Explain the salient features and your views on the Information Technology Act, 2000 as amended in 2008 by the Information Technology (Amendment) Act, 2008. 15
- (c) “लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 का उद्देश्य खतरनाक (परिसंकटमय) उद्योगों में हादसों के पीड़ितों को मुआवज़ा लेने के किसी अन्य अधिकार के अलावा राहत प्रदान करना है ।” निर्णयज विधि के साथ स्पष्ट कीजिए ।
“The object of Public Liability Insurance Act, 1991 is to provide relief to the victims of accidents in hazardous industries in addition to any other right to claim compensation.” Explain with case law. 15

